रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33

REGISTERED No. D (DN)-33



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 534] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 1985/अग्रहायण 18, 1907
No. 534] NEW DELHI, MONDAY, DEC 9, 1985/AGRAHAYANA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1985

सं. 356/85-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 896(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना

सं. 240/85-सीमाशुल्क दिनांक 1 अगस्त, 1985 को अधिष्ठित करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली सूची के अध्याय 73 के अन्तर्गत आने वाले कच्चे लोहे को जब भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक हो ।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1986 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 355/253/85-सीमाशुल्क-1]

एम. एन. बिसवास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 1985

NO. 356|85-CUSTOMS

G.S.R. 896(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 240|85-Customs, dated the 1st August, 1985, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts pig iron falling within Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of 25 per cent ad-valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1986.

[F. No. 355|253|85-CUS.I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985